राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक प.1(7)गृह–12/कारा/2025–24810 जयपुर, दिनांक :

–: आदेश :–

उपाधीक्षक कारागार के पद की वर्ष 2023–24 की दिनांक 13.05.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा में श्री बिहारी लाल कोली के निलम्बित होने के कारण इनके निलम्बन से बहाल होने तक इनकी पदोन्नति की अनुशंषा को बन्द लिफाफे में रखे जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया। महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 18.08.2025 के द्वारा श्री कोली को निलम्बन से बहाल किया गया।

अतः श्री बिहारी लाल कोली के निलम्बन से बहाल होने के कारण इनके चयन के बन्द लिफाफे को खोला जाकर डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर इन्हें उपाधीक्षक कारागार के पद पर वर्ष 2023–24 में रिक्ति दिनांक 01.04.2023 के विरूद्ध एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

उक्त अधिकारी को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से नोशनल लाभ एवं उपाधीक्षक कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक वेतन लाभ देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत् कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनुराधा गोगिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Anuradha Gogiya
Designation : Additional Chief Vigilance Commissioner
Date: 2025.10.06 16:38:43 IST
Reason: Approved

Office Address – Home (Gr.-12/JAIL) Department,
Room No. 1117, Main Building, Secretariat, Jaipur - 302005 (Raj.)
Phone No. 0141-2227246 E-mail - home.jail@rajasthan.gov.in